

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 238/2021

वादपत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. हरदेव सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख सा.इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया।
2. गुरबक्श कौर उर्फ मनजीत कौर सिंह पत्नी कौर सिंह जाति जटसिख सा.इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—वादीगण

बनाम्

1. मिटु सिंह पुत्र बचन सिंह
2. अमनदीप सिंह | पि. गुरदेव सिंह
3. सगनदीप सिंह
4. बुधराम पुत्र लेखराम
5. बनवारी लाल पुत्र हीरालाल
6. चम्पादेवी इ
7. शान्तिदेवी
8. किस्तुरी देवी पत्नी धन्नाराम (फौत)
9. रामकुमार
10. मदन लाल | पि.धन्नाराम
11. प्रदीप कुमार
12. गुड्डी देवी | पुत्रीयां धन्नाराम
13. कमलादेवी
14. हरदीप सिंह | पि.हजूरसिंह जाति जटसिख सा.इन्द्रगढ़ तह.संगरिया
15. कुलदीप सिंह
16. तहसीलदार राजस्व संगरिया
17. लवप्रीत सिंह | पि. मन्दर सिंह जाति जटसिख सा. 7 पीटीपी इन्द्रगढ़।
18. संतप्रकाश

—प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :-28.02.2023

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील प्रतिवादी संख्या 14,15,17,18 मन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 7 पीटीपी के खाता संख्या 17/146 में निम्नलिखित पक्षकारों का कब्जा काश्त अनुसार

1. हरदेव सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख साकिन इन्द्रगढ़ प.न. 128/129 मु.न. 13 किला नम्बर 12,19,22/0.253 है.प्र. कुल 0.759 है. नहरी
2. लवप्रीत सिंह पुत्र मन्दर सिंह 1/2 हि. संतप्रकाश पुत्र मन्दर सिंह 1/2 हि. जाति जटसिख साकिन 7 पीटीपी पं.न. 128/128 मु.न. 12 किला नं. 2/1/0.126 है. कुल 0.126 है. नहरी

3. हरदीप सिंह पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख सा.इन्द्रगढ़ प.न. 128/128 मु.न. 12 किला नं. 2/2/0.127 है. कुल 0.127 है. नहरी
4. कुलदीप सिंह पुत्र हजूरसिंह 1/2 हि हरदीप सिंह पुत्र हजूरसिंह 1/2 हि जाति जटसिख सा.इन्द्रगढ़ प.नं. 128/128 मु.न. 12 किला नं. 9/1/0.063 है. कुल 0.063 है. नहरी

चक 7 पीटीपी के खाता संख्या 102/78 में निम्नलिखित पक्षकारों का कब्जा काश्त अनुसार

1. हरेदव सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख सा.इन्द्रगढ़ प.न. 128/129 मु.न. 13 किला नं. 13,18/0.253 है कुल 0.506 है. नहरी

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंशा व रिपोर्ट अनुसार उक्त काश्तकारान के अलावा सह खातेदारों का मौके पर कब्जाकाश्त नहीं है उनका नाम कलमजन कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./408 दिनांक 02.02.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज..... मुब्लिक.....बाबत.....100/-.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.02.2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया